

Committee of Jawaharlal Nehru University in 1977. But last month University administration had withdrawn it unilaterally.

The other important demands include more houses for staff, regularisation of daily wage workers, medical facility for staff on the campus and group unsettled immediately.

I urge upon the Government to intervene in the matter so that the long standing demands of the Jawaharlal Nehru University staff association are settled immediately.

(iv) REPORTED FIRE IN A GODOWN OF FOOD CORPORATION OF INDIA AT KAPA IN MADHYA PRADESH.

श्री गोविन्दराम मिरो (सारंगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के एक प्रचलित विषय की ओर शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, के निकट कापा स्थित भारतीय खाद्य निगम का विशाल अनाज गोदाम 12 अप्रैल, 1979 को सुबह चारों ओर से आग की लपट में घिर गया था। यद्यपि जिला, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन की सूझ-बूझ एवं त्वरित कार्यवाही के कारण आग पर कुछ देर बाद काबू पा लिया गया, लेकिन इस आगजनी से करीब 30, 35 हजार बोरे अनाज जल कर राख हो गया, जिससे शासन को 5, 6 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। प्राप्त सूचना के अनुसार घटना के समय मौके पर खाद्य निगम के कोई अधिकारी उपस्थित नहीं थे। गोदाम के चारों ओर ऊंची दीवार है, तथा यह प्रमुख सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 6 पर स्थित है।

यह आगजनी अनेक संकाओं को जन्म देती है तथा यह आकस्मिक न हो कर दिन-ब-दिन एक सुनिश्चित ढंग से की गई घटना प्रतीत होती है। यह भी सातहवा है कि खाद्य

निगम के गोदाम से चोरी-छिपे व्यापारियों को अनाज बेचा जाता है, जिसपर पचास प्रतिशत के लिए कर्मचारियों ने गोदाम में आग लगाई। इस घटना के दूसरे दिन सुबह आठ बजे गोदाम के कुछ हंगारों एवं एक व्यापारी के बीज इस आगजनी को ले कर काफी मारपीट हुई।

खाद्य निगम के लापरवाह अधिकारियों का रवैया एवं उनकी नीयत अब साफ साफ आ गई है। इस घटना से उस अंचल के करोड़ों लोगों एवं जन-प्रतिनिधियों में काफी रोष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ के इस अंचल से रोजी-रोटी की तलाश में लाखों लोग प्रति-वर्ष अन्य प्रान्तों को जाने पर मजबूर होते आ रहे हैं, तथा हमारे देश में लाखों लोग अनाज के अभाव में भूखे मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आगजनी का यह कृत्य अक्षम्य है।

माननीय कृषि एवं खाद्य मंत्री वस्तुस्थिति से कृपया संसद को शीघ्र अवगत करायें और वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल मुभत्तिल कर इस प्रकरण की दंडाधिकारी द्वारा जांच कराने की व्यवस्था करें।

(v) PROPOSED AGITATION IN KERALA AGAINST DELAY IN COMPLETION OF MANGALORE - COCHIN - TRIVANDRUM HIGHWAY.

SHRI A. C. GEORGE (Mukandapuram): Mr. Speaker, Sir, I would like to raise under Rule 377 matter relating to proposed mass agitation in the coastal areas of three districts of Kerala for Mangalore-Cochin-Trivandrum highway.

A mass agitation is proposed to be launched in the coastal areas of the three districts of Kerala because of the inordinate delay in the implementation of the sanctioned West Coast Highway (NH 17) from Mangalore through Cochin to Trivandrum. Five years back, the West Coast Highway